

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटडी (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- श्री भागीरथ साख, आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या 35/2017

प्रा.प. अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा.अधि.1956  
अनवान

श्री गोपालसिंह पिता शम्भुसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी दांतडा तहसील  
कोटडी जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रार्थी

बनाम

1. मोतीलाल पिता रुघनाथ शर्मा उम्र वयस्क निवासी दांतडा तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
2. उदा पिता देबी धाकड़ उम्र वयस्क निवासी दांतडा तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
3. किशोर सिंह पिता रूपसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी दांतडा तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटडी तहसील कोटडी

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व  
अधिनियम 1956

-:: आदेश ::-


दिनांक 11.2.17

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 11/02/2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम दांतडा पटवार हल्का दांतडा भू.अ.नि. क्षेत्र छापडेल तहसील कोटडी में खाता संख्या 514 में आराजी संख्या 2079/1604 रकबा 32 बीघा 1 बिस्वा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/सयुक्त खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।


प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रकरण केवल सीमा संबंधी है जिससे किसी का कोई हक प्रभावित नहीं होता है। विपक्षीगण का कोई हक प्रभावित नहीं होता है। खातेदारी हक प्रार्थी का है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदत्त किये जाते हैं एवं संबंधित भू.अ.निरीक्षक छापडेल को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उभयपक्ष को सुचित करने के उपरान्त पालना रिपोर्ट मार्फत तहसीलदार कोटडी के तलब की जावें।

-:: आदेश ::-

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि तहसील कोटडी के वाके ग्राम दांतडा पटवार हल्का दांतडा भू.अ.नि. क्षेत्र छापडेल तहसील कोटडी में खाता संख्या 514 में आराजी संख्या 2079/1604 रकबा 32 बीघा 1 बिस्वा भूमि पर पत्थरगढी उभयपक्षकारान को सुचित किया जाकर बाद तिथी निर्धारण के पत्थरगढी की जावें। प्रार्थी इस कार्य के लिए कमिश्नर फीस तहसीलदार कोटडी के निर्देशानुसार राशि 1600 रुपये वक्त पत्थरगढी कमिश्नर भू.अ.निरीक्षक को जमा करायेगा। खर्चा राशि जमा होने पर भू.अ.निरीक्षक द्वारा पत्थरगढी की जाकर पालना करे।

  
सहायक कमिश्नर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
कोटडी जिला-भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार कोटडी को भेजकर लेख है कि आवेदक की पत्थरगढी कराकर सात चोम में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

  
सहायक कमिश्नर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
कोटडी जिला-भीलवाड़ा